

बैवसाईट

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,  
चंडीगढ।

सेवा में,

सभी आहरण एवं सवितरण अधिकारी,  
श्रम विभाग, हरियाणा राज्य।

क्रमांक: 5736-790

दिनांक: 11/03/25

**विषय:- नई सामूहिक बीमा योजना-1985 के तहत अधिकारियों/कर्मचारियों का जी0आई0एस0 संख्या आंबटन उपलब्ध करवाने के संबंध में।**

उपरोक्त विषय के संबंध में।

2. विषयोक्त मामलें में कार्यालय के ध्यान में आया है कि श्रम विभाग, हरियाणा में नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के तहत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को जी0आई0एस0 संख्या का आंबटन किया हुआ है, परंतु उसका पूर्ण रिकार्ड मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं हो रहा है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि पत्र में दर्शाये गये प्रोफार्मा अनुसार आपके कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के संबंध में सूचना यथाशीघ्र मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें, ताकि विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को जी0आई0एस0 संख्या का आंबटन किया जा सके:-

| Sr. No. | Name, Father name & present place of posting of the officer/ officials of the Deptt. | Designation/ Group of Service | Date of Birth | Date of Entry in Govt. Service/ Date of Promotion | Date of Retirement | GIS No. if allotted |
|---------|--|-------------------------------|---------------|---|--------------------|---------------------|
| 1       | 2  | 3                             | 4             | 5   | 6                  | 7                   |
|         |  |                               |               |   |                    |                     |

उप अधीक्षक

16 कार्यालय श्रम आयुक्त, हरियाणा।